भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2518

उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

विश्व बैंक द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता

†2518. श्री हरीश द्विवेदी:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री रवि किशनः
श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में वृद्धि के लिए वर्ष 2021 में कितनी विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और
(ख) सरकार द्वारा प्राप्त उक्त वित्तीय सहायता के आबंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारत सरकार में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाने वाली राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना (स्टार्स) योजना अक्टूबर 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गयी थी। विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, स्टार्स योजना 23 फरवरी 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2024-25 को प्रभावी हो गई है। स्टार्स को छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्टार्स का उद्देश्य भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और अभिशासन में सुधार करना है। स्टार्स में शिक्षा परिणामों को बेहतर बनाने और श्रम बाजार परिणामों में सुधार के लिए स्कूल-टू-वर्क ट्रांजिशन रणनीतियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क वाली पहलों के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार हेतु राज्यों की सहायता की परिकल्पना की गई है।

परियोजना की कुल लागत लगभग 5718 करोड़ रुपये है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3700 करोड़ रुपये) विश्व बैंक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे और शेष राशि राज्य के हिस्से के रूप में 5 वर्षों की अवधि के दौरान प्रतिभागी राज्यों से प्राप्त होगी। हिमाचल प्रदेश के लिए फ़ंड शेयरिंग पद्धति 90:10 है और अन्य राज्यों अर्थात् राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा के लिए 60:40 है।

(ख) स्टार्स के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कुल बजट आवंटन और निधियों के उपयोग का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**संशोधित अनुमानों के अनुसार बजट आवंटन**	**उपयोग (राज्यों को जारी की गई निधि और राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत व्यय)**
2020-21	111.79	91.17
2021-22	340.00	282.30
2022-23	480.00	473.45
2023-24 (आज तक)	700.00	347.75
कुल	**1531.79**	**1194.67**

*****